



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-20012026-269463  
CG-WB-E-20012026-269463

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2026/पौष 30, 1947

No. 246]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2026/PAUSHA 30, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्व रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

कोलकाता, 15 जनवरी, 2026

का.आ. 274(अ).— केंद्रीय सरकार, रेलवे (अमेण्डमेंट) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खण्ड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, “न्यू फरक्का में गंगा नदी पर पुलस हित गुमानी से मालदा टाउन तीसरी और चौथी लाइन” परियोजना के भूमि अधिग्रहण हेतु झारखंड के साहिब गंज जिला में और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद एवं मालदा जिले में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित कराने हेतु विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. मु. प्र. अ./नि./ भू./327]

मनोज खाँ, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

**MINISTRY OF RAILWAYS****[Eastern Railway (Construction Department)]****NOTIFICATION**

Kolkata, the 15th January, 2026

**S.O. 274(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 the Central Government hereby notifies “**Gumani to Malda Town 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Line including bridge over river Ganga at New Farakka**” as a **Special Railway Project** for acquisition of land in Sahibganj District of Jharkhand and Murshidabad & Malda Districts of West Bengal, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. CAO/Con/L/327]

MANOJ KHAN, Chief Administrative Officer/Con.